न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

वइजलारा अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 24/2018 /रिव्यू प्रार्थना पत्र

1. रघुनाथ पुत्र भूवानाराम निवासी कल्याणपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

---प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 229 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थिति--

1. श्री आनन्द राड वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रेखराज पारीक वकील अप्रार्थी की ओर से।

नि र्ण य दिनांक -- 27.01.2020

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि निजी खातेदारी भूमि ख0न0 743 गांव कल्याणपुरा पंचायत कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को बिना कोई नोटिस दिये एवं बिना किसी प्रकार की जानकारी दिये ही प्राकृतिक सिद्धान्तों की खुल्ला अवहेलना करते हुए झूंथाराम को रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। जो कि न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत एवं अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि झूंथाराम जिसको रास्ता दिया गया है, उसका स्वंय का खेत मुख्य डामर रोड से लगता हुआ खं0न0 742 है। इसी से लगता हुआ अन्य खं0न0 745 व 747 से रास्ता दिया गया है, जो प्रथमदृष्टया गलत है। यह है कि प्रार्थी को सुने बिना मनमाने रूप से एक्त आदेश दिनांक 06.04.2018 पारित किया गया है, जो कि प्रार्थी के अधिकारों पर कुठाराघात है। इसलिए उक्त आदेश प्रार्थी के न्यायकि हितों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 का पुनर्वालोकन किया जाकर उक्त आदेश को निरस्त प्रदान किये जावे।
2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कल्याणपुरा प0ह0 कुली के ख0न0 743 रकबा 1.14 है0 कि खातेदारी रूघनाथ भंवर पिता भूवानाराम हि0 12/35 भूदाराम श्रवण बजरंग पि0 भूवानाराम हि0 18/35 हि0ब0 रहन आर.

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) दांतारामगढ़, सीकर (राजस्थान)

जी.बी. शाखा खाचरियावास मूर्तहिन राहीन लादूराम पु0 नानूराम हि0 1/24 मोहरी बेवा भूवाना राम हि0 1/56 जमनादेवी बेवा धन्नाराम रणजीत सिंह पि0 धन्नाराम हि0 1/36 आनन्द कुमार पि0 धन्नाराम हि0 1/12 रूघनाथ भंवर भूदाराम श्रवण बजरंग पि0 भूवानाराम जाति जाट हि0 1/24 सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य मे राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(1)राज. 6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्व /2016/4328–53 दिनांक 21.11.2016 की पालना सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख मे अंकन करते हेतु जो रास्ता का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत हुआ उक्त रास्ता सार्वजनिक नहीं होकर व्यक्तिगत रास्ता है ख0न0 743 खातेदारी भूमि है।

3. बहस विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया। आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो एवं रिव्यू के सीमित क्षेत्र के कारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 निरस्त करने योग्य नही है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं धारा 229 राज टिनेन्सी एक्ट अस्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * (सीकर) * दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner